

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)-01/2026-27

पत्रांक/जहानाबाद,

दिनांक...../...../2026

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण जल संसाधन विभाग का पत्रांक-253 दिनांक-15.03.2024 के आलोक में नहर संचालन/संपोषण हेतु अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमण्डल-05 घोषी द्वारा निरीक्षण वाहन के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 के (खरीफ सिंचाई 2026 अवधि) में उपयोग हेतु 1 अदद बोलेरो एवं समकक्ष वाहन ड्राइवर सहित भाड़े पर रखने की आवश्यकता है। इस क्रम में इच्छुक वाहन मालिकों/आपूर्तिकर्ता से उक्त वाहन ड्राइवर सहित भाड़े पर आपूर्ति करने हेतु कोटेशन निम्न शर्तों के साथ आमंत्रित किया जाता है।

शर्तें निम्नवत् है :-

1. भाड़े पर वाहन माह अक्टूबर 2026 तक के लिए लिया जायेगा। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का मॉडल 2021 के पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा वाहन अच्छी स्थिति एवं कार्यरत अवस्था में होना चाहिए। वाणिज्यिक निबंधन वाले वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म का GST निबंधन तथा आयकर निबंधन होना चाहिए।
4. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना चाहिए।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तैलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
7. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
8. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
9. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रतिदिन ईंधन रहित देय होगा।
10. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन मालिक के जबाबदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
11. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिदिन का न्यूनतम दर के कोटेशन दाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
12. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
13. खरीफ अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनों समय में अत्यधिक होता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।
14. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
16. नियमानुसार आवश्यक सक्षम पदाधिकारी के आदेश एवं आवंटन उपलब्ध होने पर ही भाड़ा का भुगतान गाडी मालिक को किया जाएगा तथा इसमें पूर्व एवं अतिरिक्त गाडी मालिक का कोई भी दावा मान्य न होगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 16 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 02 से 05 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ लिफाफे में दिनांक- 20.07.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक सिंचाई प्रमण्डल, जहानाबाद कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशन दाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक- 20.07.2026 को 4:00 बजे अपराह्न में वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।

शपथ-पत्र एव वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता,
सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद।

पत्रांक :- 1522 / जहानाबाद, दिनांक- 11 / 07 / 2026

प्रतिलिपि- सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु समर्पित किया जाता है।

Agarwal

11/07/2026

कार्यपालक अभियंता,

सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद।

Shreendra
11/07/2026

